न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

महेन्द्र कुमार ..... बनाम ..... कुरड़ाराम .....

नाम मुकदमा ..... T.I ..... मु. नं० ..... 170 ..... वर्ष ..... 2013 .....

दिनांक	आज्ञा पत्र
02/5	प्रार्थनापत्र/अर्जी उपस्थित है, बहस अर्जी उपस्थित सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। ~~विवादित भूमि~~ बहस अर्जी प्रार्थी मुराफिक आकिन किया। बहस अर्जी अप्रार्थीगण मुराफिक जवाब नहीं। विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति में परिवर्तन करने पर वाद का दुरूपयोग करने ~~तथा प्रार्थी के हित~~ की संभावना है तथा प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते है, अतः वाद का दुरूपयोग करने से रोकने के लिए विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण के स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 1755, 1756, 1757, 1763, 1772, 1772/3648 कुल किता 06 कुल रकबा 5-50 बीघा स्थित पिपराली पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर की भूमि पर तहसीनिपाड़ मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थनापत्र के साथ प्रकार होकर नम्बर से कम हो, दायिक हमल हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर